क्षेत्रीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी

बनाम

एन. सत्यनारायण और अन्य

12 नवम्बर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226:

अस्पष्टीकृत विलंब से संस्थित की गई रिट याचिका - प्रभाव- उत्तरदाता दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त-तत्पश्चात् नियमित किये गये - 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात उत्तरदाताओं द्वारा रिट याचिका इस आशय के लिए प्रस्तुत करना कि उनका नियमितीकरण उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से जब वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुए थे, से किया जावे - विलंब के कारण का कोई स्पष्टीकरण नहीं है - अभिमत : रिट याचिका विलंब के आधार पर खारिज की जा सकती है - सेवा कानून - नियमितीकरण – विलंब/उपेक्षा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत अर्थ निकालने पर रिट कोर्ट द्वारा राहत दी गई - अभिमत: धारणीय नहीं - न्यायिक शिष्टाचार।

जिन उत्तरदाताओं - कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर भर्ती किया गया था, उन्हें बाद में दिनांक 01-08-1987 को नियमित कर दिया गया। वर्ष 1999 में उत्तरदाताओं ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से ही उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी और अन्य के मामले

में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका स्वीकृत की गई थी। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

नियमितीकरण दिनांक 01.08.1987 को किया गया था और रिट याचिकाएं वर्ष 1999 में दायर की गई। उक्त स्थिति के संदर्भ् में एवं रिट याचिकाओं के विलंबित दृष्टिकोण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए रिट याचिका को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया और उत्तरदाताओं को राहत देने के लिए संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले का गलत अर्थ निकाला। यहां तक कि उस फैसले को पढने पर भी, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया है, यह स्पष्ट है कि विसंगतियों से बचने और इसमें शामिल विशिष्ट स्थिति को देखते हुए राहत को ढाला गया। [पैरा 10 और 11] [1017-ए, बी, सी]

संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी और अन्य। वी.पी. लक्ष्मोजी राव और अन्य, [2004] 2 एससीसी 433, उल्लिखित।

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 5158/2007।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हैदराबाद स्थित 2005 की रिट अपील संख्या 874 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 06.04.2005 से।

आर. संथन कृष्णन, के. राधा रानी, प्रवीण के. पांडे, पी. विजय कुमार और डी. महेश बाबू - अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा वर्ष 2005 की रिट अपील संख्या 874 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है और इस तरह रिट याचिका संख्या 16244 वर्ष 1999 एवं अन्य रिट याचिकाओ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है। वर्तमान अपील 16244 वर्ष 1999 की रिट याचिका संख्या से संबंधित है जो उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई थी।

3. तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है। उत्तरदाताओं को दैनिक वेतन के आधार पर 31.10.1996 से कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि उत्तरदाताओं की नियुक्तियाँ दैनिक वेतन के आधार पर थीं, स्वीकृत रिक्तियाँ आने पर उनकी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाना था। चूँकि संस्वीकृत रिक्तियाँ निकली थीं और उत्तरदाताओं ने 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी, नीतिगत निर्णय के अनुसार, उनकी सेवाओं को 1.8.1987 से नियमित कर दिया गया था। एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद, उत्तरदाताओं ने एक रिट याचिका यानी वर्ष 1999 की रिट याचिका (सी) संख्या 16244 दायर की, जिसमें सभी अनुषांगिक लाभों के साथ प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 18.08.2004 से रिट याचिका एवं अन्य मामलों का निस्तारण रिट याचिका स्वीकृत करते हुए इस न्यायालय के संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी और अन्य। वी. पी. लक्ष्मोजी राव और अन्य, [2004] 2 एससीसी 433 के निर्णय के अनुसरण में किया।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपीलें दायर की गई थी जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी और अन्य मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का गलत अर्थ निकालकर रिट याचिका स्वीकृत की गई थी।

5. खण्डपीठ ने रिट अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

6. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता - निगम के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ दोनों ने संभागीय प्रबंधक, एपीएसआरटीसी के मामले (सुप्रा) के निर्णय में अभिमत सिद्धांत का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और गलती से यह माना कि उक्त निर्णय उत्तरदाताओं के मामले पर लागू होता है।

7. नोटिस की तामील के बावजूद किसी भी उत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते समय इस न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद - 18 पर निर्भर किया है, जो निम्नलिखित है :

> "इस अजीब स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अन्यथा उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से बचने के लिए, हम मानते हैं कि उत्तरदाता कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से जब वे दैनिक वेतन कर्मचारी के रुप में नियुक्त हुए थे, से नियमितीकरण का दर्जा पाने के अपने कानूनी अधिकार को स्थापित करने में विफल रहे है और उत्तरदाताओं को संबंधित तारीखों को दी गई नियमितीकरण को कानूनी रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता है, हम अपील के तहत निर्णयों में दिए गए निर्देशों के संशोधन में राहत देने के इच्छुक हैं और निम्नानुसार निर्देशित करते हैं:
>
> "यदि संबंधित संभाग/क्षेत्र की प्रासंगिक वरिष्ठता सूची में उत्तरदाताओं से कनिष्ठ कंडक्टरों में से किसी को वरिष्ठता और नियमितीकरण का

लाभ मिला है या अंतिम निर्णय के आधार पर इसे पाने का हकदार है, तो जो उत्तरदाता उनसे वरिष्ठ हैं, उन्हें समान सिद्धांत पर समान लाभ दिया जाएगा।"

9. यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि उक्त मामले में निर्णय का सिद्धान्त निम्नलिखित प्रभाव वाला था:

"उपरोक्त निर्णय के सिद्धांत को समझना मुश्किल है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश को स्पष्ट करने का इरादा रखते हुए, खण्डपीठ ने धारा 25-बी आईडी अधिनियम जो उक्त अधिनियम के अध्याय 5ए में वर्णित होकर छंटनी और छंटनी के प्रावधानों को लागू करने के विशेष उद्देश्य के लिए है, में निरंतर सेवा के अर्थ को पूर्ण रुप से अलग अवधारित किया गया है। इसके अलावा, रिट अपील में पारित आदेश इतना स्पष्ट नहीं है। अभिव्यक्ति 'निरंतर नियुक्ति की तारीख' का कोई अर्थ नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्त शब्द 'निरंतर सेवा' शब्दों के लिए गलत तरीके से उपयोग किया गया है, तब भी, निर्देश समझ से बाहर है। धारा 25-बी में निरंतर सेवा का अर्थ कितने समय तक है, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस स्थिति में, वर्ष 1998 के डब्ल्यू;पी संख्या 24263 में, विद्वान एकल न्यायाधीश इस आधार पर प्रवृत हुए कि डब्ल्यूए संख्या 705/1995 में निर्णय के अनुसार, कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण की मांग करने के हकदार थे, इस प्रकार, खण्डपीठ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण वस्तुतः निरर्थक कर दिया।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि विभिन्न रिट याचिकाओं/रिट अपीलों में निर्धारित कानून या दिए गए निर्देश एक से अधिक कारणों से कानूनी रूप से संधारणीय नहीं हैं। प्रथमतः आईडी अधिनियम की धारा 25-बी पर आधारित गलत मानदंड एक के बाद एक मामले में लागू किए गए। द्वितीयत: उत्तरदाताओं और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों ने अनुच्छेद 226 के तहत उनके नियमितीकरण के लंबे समय बाद न्यायालय के समक्ष उपसंजात हुए, जिससे स्थापित स्थिति अस्थिर हो गई। तृतीयतः इन मामलों के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों को कंडक्टर के रूप में भर्ती किया गया था, उनकी सेवाएं उचित समय के भीतर नियमित कर दी गईं। इसलिए, उत्तरदाताओं-कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया गया। किसी भी सेवा नियम या नियमितीकरण या कानून के किसी अन्य सिद्धांत को उत्तरदाताओं द्वारा पूर्ववर्ती तिथि यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण का दावा करने के लिए उठाया नहीं गया है।"

10. फैसले के अनुच्छेद-18 को पढ़ने पर भी, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ निर्भर हुई है, यह स्पष्ट है कि विसंगतियों से बचने और इसमें शामिल विशिष्ट स्थिति को देखते हुए राहत को ढाला गया था। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है कि अपीलों में दिए गए आदेश संधारणीय नहीं थे क्योंकि रिट याचिकाएँ लंबे समय के बाद दायर की गई थीं। ऐसी ही स्थिति यहां भी है। नियमितीकरण 1.8.1987 से किया गया था और रिट याचिकाएं वर्ष 1999 में दायर की गई थीं। ऐसा होने पर और चूंकि रिट याचिका में विलंबित दृष्टिकोण के लिए कोई

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए रिट याचिका को देरी व उपेक्षा के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया और जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उचित तर्क दिया था कि उत्तरदाताओं को राहत देने के लिए इस न्यायालय के फैसले का गलत अर्थ निकाला गया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों के आदेशों को निरस्त करने की आवश्यकता है और हम तदनुसार निर्देश देते हैं।

12. अपील स्वीकृत की जाती है परंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील में हुए व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशीष बिजारनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।